


कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक : प.19(11)शिक्षा-2/2019 जयपुर, दिनांक 10.03.2021 एवं 12.03.2021 के अनुसरण में राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित निम्नांकित कार्मिकों की "राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के अनुसार उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 06 के अनुसार प्रतिनियुक्ति अवधि में अभिवृद्धि किये जाने की एतद्द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	अधिकारी / कार्मिक का नाम	पद नाम	प्रतिनियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि	प्रतिनियुक्ति पर प्रस्तावित अभिवृद्धि की दिनांक	प्रतिनियुक्ति अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	श्री तेजपाल मूण्ड	शैक्षिक अधिकारी	05.03.19	05.03.2021 से 04.03.2022	तृतीय वर्ष
2.	श्रीमती मनीषा मीणा	शैक्षिक अधिकारी	07.03.19	07.03.2021 से 06.03.2022	तृतीय वर्ष
3.	श्री विक्रम भूकर	शैक्षिक अधिकारी	07.03.19	07.03.2021 से 06.03.2022	तृतीय वर्ष
4.	श्री शम्भूदयाल रावत	वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष	10.03.19	10.03.2021 से 09.03.2022	तृतीय वर्ष

श्री विवेक गुप्ता, शैक्षिक अधिकारी की प्रतिनियुक्ति अवधि में अभिवृद्धि नहीं किये जाने के कारण श्री गुप्ता की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर, आदेशों की प्रतिकक्षा में मुख्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर किया जाता है।


(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर


क्रमांक :- शिविरा / मा / संस्था-4 / सी-8 / प्रतिनियुक्ति(अन्य) / 2020

दिनांक 15-03-20

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सहायक सचिव, स्कूल शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
2. सचिव, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

4. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) कार्यालय द्वारा को निम्नांकित लेखक पर अपलोड करने हेतु।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर